



संख्या: 5786/2315/आ.व.-5/सिस्टम-ओ.टी.एस./2020-21

दिनांक 22 जुलाई, 2020

प्रेषक,

निदेशक,

आवास बन्धु, उ०प्र०।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: वन टाईम सेटेलमेन्ट योजना (ओ.टी.एस. योजना 2020) के अन्तर्गत ऑन-लाइन आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

शासनादेश संख्या- एमएस-09/आठ-3-20-234विविध/2017टी०सी० दिनांक 15 जुलाई, 2020 अनुसार शमन योजना-2020 के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों को ऑनलाइन/ऑफ लाइन सम्बन्धित अभिकरणों में जमा करने तथा ऑनलाईन आवेदन पत्रों को जमा करने हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के लिए आवास बन्धु द्वारा साफ्टवेयर विकसित कराकर सम्बन्धित अभिकरणों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है।

उक्त क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2020 को सम्पन्न बैठक में हुए निर्णय के क्रम में साफ्टवेयर को अंतिम रूप दिया गया है।

उक्त साफ्टवेयर को अभिकरणों द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगी:-

1. सर्वप्रथम URL “ www.shamanyojana.mprawasbandhu.in” को खोलकर एम.पी.आर. हेतु पूर्व से प्रयोग किये जा रहे लॉगेन और पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगेन करना होगा।
2. लॉगेन करने के बाद **Bank Detail Menu** का उपयोग कर अभिकरणों को निर्धारित बैंक, जिसमें इस योजना से सम्बन्धित समस्त भुगतान/शुल्क जमा कराये जाने हैं, से सम्बन्धित विवरण फीड करना होगा।
3. क्रमांक-2 पर उल्लिखित **Bank Detail Menu** पर एक अन्य **Menu** उपलब्ध रहेगा, जिसमें सम्बन्धित अभिकरण को आवास बन्धु द्वारा उपलब्ध कराया गया link प्राप्त होगा, जिसे Copy कर Save करना होगा।
4. उक्त के उपरान्त अभिकरण को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर “**Shaman Yojna 2020**” के नाम का एक link बनाना होगा और पूर्व में Copy और Save किये गये link से इस link को Hyperlink the link करना होगा।

क्रमशः.....2

5. "Shaman Yojna 2020" के link को अब click करने पर आवेदन पत्रों को ऑन लाइन जमा करने पेज खुल जायेगा। इसी पेज एक अन्य menu "Print Applications" उपलब्ध रहेगा, जिसका प्रयोग कर जमा किये गये आवेदन पत्रों को डाउनलोड और प्रिन्ट कराया जा सकता है।

सुलभ सन्दर्भ हेतु साफ्टवेयर के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश (अंग्रेजी) पत्र के साथ संलग्न है। इस सम्बन्ध में किसी भी सहायता/जानकारी हेतु श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक (सिस्टम), आवास बन्धु (मो0नं0-7318000875) से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,
03/22/2020
(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
3. विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।

(रवि जैन)
निदेशक

Instructions for Activation of Web Service for Online Applications of Shaman Yojana-2020

1. Open URL “ www.shamanyojana.mprawasbandhu.in“
Login by using Login name and Password being used for the MPR work.
2. After Login Select the **Bank Detail Menu** and Update the details as mentioned below :
 - a. If any Authority allows the Fee to be submitted in the form of Draft/ Cheque, the box against the Cheque/Draft should be checked else it should be kept blank.
 - b. If any Authority allows the Fee to be submitted via Challan, the box against the Challan should be checked. This facility should be given only with Online Challan facility (if available on Authority’s website)
 - c. For RTGS/NEFT facility, the Details of Authority’s bank account has to be filled up. The applicant shall make the RTGS / NEFT to this account only
3. After completing the above two steps, the basic requirement for Application Integration is complete.
4. At this Login page one Menu is provided for the link allocated by Awas Bandhu. This Link is to be used for linking your website. Copy this Link and save.
5. No in the existing website of the Authority/Awas Vikas, embedd the link “**Shaman Yojna 2020**” on Home page of the Website.
6. Hyperlink the link “Shaman Yojna 2020” created in Step 5 with the link saved in Step 4.
7. On click on link “Shaman Yojna 2020” the Application Submission page for for the Authority will open.
8. One menu as “**Print Applications**” has also been provided. This can be used to download and print all Applications submitted for Individual Authority/ Awas Vikas.